संख्या-540/2023/3561/41-1099/42/2023

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 04 अगस्त, 2023

विषय:-पर्यटन विभाग के बंद/घाटे में चल रहे/असंचालित पर्यटक आवास गृहों को पी0पी0पी0 मोड पर विकसित व संचालित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र संख्या-586/8-16/(पी**0**पी**0**पी0-30) /मेन फाईल/2023**,** दिनांक 03.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पर्यटन विभाग के बंद/घाटे में चल रहे/असंचालित पर्यटक आवास गृहों को पी0पी0पी0 मोड पर विकसित व संचालित किये जाने के संबंध में मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2— उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीम सम्भावनाओं के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का गठन 05 अगस्त, 1974 को प्रदेश में पर्यटन के विकास हेतु अवस्थापना सुविधाओं के सृजन व संचालन के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम अवस्थापना सुविधाओं को विकसित एवं निर्मित करने, लीज पर लेने, होटल/मोटल/ रेस्टोरेन्ट/ट्रैवेलर्स लाज/गेस्ट हाउस व अन्य अवस्थापना सुविधाओं के संचालन का कार्य करता है।निगम के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध न होने तथा पर्यटन इकाई में आवश्यकतानुसार पूँजी निवेश, उच्चीकृत, आधुनिकीकरण न करने के कारण इकाइयों को क्षमता के अनुरूप संचालित नही किया जा सका, जिस कारण पर्यटक आवास गृह लम्बे समय से घाटे में चल रहे/बंद/असंचालित एवं जीर्णशीर्ण अवस्था में है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3— उल्लेखनीय है कि देश में पर्यटन उद्योग का परिदृश्य निरन्तर बदल रहा है एवं उक्त इकाईयों के निर्माण एवं संचालन में प्रशिक्षित/विशेषज्ञ संस्थाओं की आवश्यकता होगी, जिनका निर्माण एवं संचालन क्षेत्र में विशेषज्ञ संस्थाओं/निजी निवेशकों द्वारा कराया जाना पर्यटन की दृष्टिकोण से अत्यन्त लाभकारी होगा। इससे पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए व्यवसायियों एवं सेवा प्रदाताओं का आर्थिक उन्नयन होगा। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बंद/घाटे में चल रहे/असंचालित पर्यटक आवास गृहों को जनोपयोगी बनाने एवं पर्यटकों के सुविधार्थ उच्च स्तरीय सुविधायें विकसित करने तथा प्रदेश में निजी निवेश को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से सार्वजनिक–निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) मोड पर विकसित व संचालित कराये जाने का निर्णय लिया गया।

4— पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यवृत्त दिनांक 26 अगस्त, 2022 द्वारा 14 पर्यटक आवास गृहों एवं कार्यवृत्त दिनांक 07–09–2022 द्वारा 03 पर्यटक आवास गृहों को अर्थात् कुल 17 पर्यटक आवास गृहों को पी0पी0पी0 मोड पर विकसित व संचालित कराये जाने हेतु प्रकाशित आर.एफ.क्यू की ई–निविदायें खोली गयी, जिसमें प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन पी0पी0पी0 कन्सल्टेण्ट्स द्वारा किया गया, जिसके उपरान्त 17 पर्यटक आवास गृहों/इकाईयों के सापेक्ष अर्ह पायी गयी निविदाताओं (बिडर्स) फर्मो को शार्टलिस्ट किया गया।

5— उपरोक्त क्रम में सार्वजनिक निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति(Public Private Partnership Bid Evaluation Committee)द्वारा निविदा प्रपत्रों (आर0एफ0पी0/डी0सी0ए0–रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल वैल्यूम–1: इन्स्ट्रक्शन टू बिडर्स, वैल्यूम–II: ड्राफ्ट कन्सेशन एग्रीमेंण्ट एवं वैल्यूम–III: ड्राफ्ट सेड्यूल्स टू कन्सेशन एग्रीमेंण्ट (RFP/DCA -Request for Proposal Volume-1: Instruction to Bidders, Volume-II : Draft Concession Agreement and Volume-III : Draft Schedules to Concession Agreement)पर अनुमोदन पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यवृत्त पत्र दिनांक 16 सितम्बर, 2022 के माध्यम से दिया गया।

6— इस परिपेक्ष्य में अवस्थापना विकास अनुभाग के शासनादेश संख्या–3/2018/260/83–अव0–2018–34(अव0)/2013 दिनांक 29 जून, 2018 द्वारा प्रदेश में पी0पी0पी0 परियोजनाओं के संबंध में जारी ''गाइडलाइन्स फॉर सेलेक्शन ऑफ कन्सल्टेन्ट्स एण्ड डेवलपर्स फॉर पी0पी0पी0 प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश–2016'' (संशोधित गाइडलाइन–2018) के चैप्टर–3 Process Flow

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

chart for Development of Project on PPP के पैरा 3.3 Selection of Developer के अनुपालन में 17 पर्यटक आवास गृहों/इकाईयों को पी0पी0पी0 मोड पर संचालित करने हेतु प्रस्तर–5 में उल्लिखित निविदा प्रपत्रों तथा इकाईयों के सापेक्ष शार्टलिस्टेड निविदाकर्ताओं (बिडर्स)के मध्य निविदा कराये जाने हेतु सार्वजनिक निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति (Public Private Partnership Bid Evaluation Committee) द्वारा अन्तिमीकृत प्रपत्रों को मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसके अनुपालन में पर्यटन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–23/2023/5259/41–2022–113 (सा0)/2022, दिनाँक 13 जनवरी, 2023 द्वारा शासनादेश जारी किया गया।

7– मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्त शार्टलिस्टेड निविदाकर्ता (बिडर्स) के मध्य आर0एफ0पी0 की ई–निविदा दिनांक 18 जनवरी, 2023 को प्रकाशित करायी गयी, जिसमें निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि 07 फरवरी, 2023 निर्धारित की गयी। उक्त 17 पर्यटक आवास गृहों के सापेक्ष पर्याप्त निविदायें (बिडें) प्राप्त न होने के कारण सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त ई–निविदा खोले जाने की तिथि बढ़ाकर दिनांक 20 फरवरी, 2023 निर्धारित की गयी है। दिनांक 20 फरवरी, 2023 को पी0पी0पी0बी0ई0सी0 समिति के समक्ष ई–निविदा खोली गयी, जिसमें 13 पर्यटक आवास गृहों के सापेक्ष ई–निविदायें प्राप्त हुई, जिनकी प्राप्त निविदा के मूल्यांकन की कार्यवाही आगे बढ़ायी गयी। शेष 04 पर्यटक आवास गृहों (राही पर्यटक आवास गृह, नरौरा, राही पर्यटक आवास गृह, चुनार, राही पर्यटक आवास गृह, संकिसा एवं राही पर्यटक आवास गृह, देवकली) की प्रकाशित ई–निविदा खोले जाने की अन्तिम तिथि अग्रेत्तर बढ़ा दी गयी।

8– दिनांक 20–02–2023 को उत्तर प्रदेश पी0पी0पी0 गाइडलाइन–2016 (संशोधित गाइडलाइन–2018) के पैरा 2.3 पर गठित PPPBEC (Public Private Partnership Bid Evaluation Committee) के समक्ष खोली गयी। पर्यटक आवास गृहों के सापेक्ष निम्नवत् ई–निविदायें प्राप्त हुईः–

क्र. सं.	पर्यटक आवास गृह का नाम	जनपद	इकाई के सापेक्ष शार्टलिस्टेड बिडर की संख्या	ई–टेण्डर प्रयास (Attempts)में प्रकाशित आर.एफ.पी. की ई–निविदा के सापेक्ष प्राप्त

				निविदाओं (बिडों) की संख्या
1.	राही पर्यटक आवास गृह, सोनौली	महराजगंज	13	6
2.	राही पर्यटक आवास गृह, गोकुल रेस्टोरेण्ट	मथुरा	14	4
3.	राही पर्यटक आवास गृह, नीमसार	सीतापुर	09	3
4.	राही पर्यटक आवास गृह, सिविल लाईन्स, मथुरा	मथुरा	09	3
5.	राही पर्यटक आवास गृह, कालिंजर	बांदा	04	3
6.	राही पर्यटक आवास गृह, राधाकुण्ड	मथुरा	07	2
7.	राही पर्यटक आवास गृह, बिठूर	कानपुर	08	2
8.	राही पर्यटक आवास गृह, साण्डी झील	हरदोई	03	2
9.	राही पर्यटक आवास गृह, गोकुल गांव	मथुरा	04	2
10.	राही पर्यटक आवास गृह, बटेश्वर	आगरा	05	2
11.	राही पर्यटक आवास गृह, शिकोहाबाद	फिरोजाबाद	05	2
12.	राही पर्यटक आवास गृह, देवगढ़	ललितपुर	03	1
13.	राही पर्यटक आवास गृह, भदोही	भदोही	04	1

9— उपरोक्त तालिकानुसार क्रमांक—6 से 11 पर अंकित पर्यटक आवास गृहों हेतु शार्टलिस्टेड निविदाकर्ताओं के सापेक्ष 02 निविदायें एवं क्रमांक—12 व 13 पर अंकित पर्यटक आवास गृहों हेतु शार्टलिस्टेड निविदाकर्ताओं के सापेक्ष एकल निविदायें प्राप्त हुई हैं, जिस पर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

10— उपरोक्तानुसार बंद/घाटे में चल रहे/असंचालित 13 पर्यटक आवास गृहों को सार्वजनिक—निजी सहभागिता (पी0पी0पी0 मोड) पर विकसित एवं संचालित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कराये जाने हेतु प्रकाशित ई–निविदा के सापेक्ष निम्न पर्यटक आवास गृहों की लीज पर उच्चतम निविदाकर्ता (बिडर) की सूची निम्नवत् हैः–

क्र.सं.	पर्यटक आवास गृह का नाम		निविदाकर्ता (बिडर) का नाम	इकाई के सापेक्ष कोटेड दर की धनराशि	बिड रैंक
1	**सोनौली, जनपद महराजगंज**	1.	होटल पवन पैलेस प्रा0लि0	1,20,00,000.00	एच–1
		2.	वाराणसी बिल्डर एण्ड डेवलपर प्रा0लि0	1,15,00,000.00	एच–2
		3.	नोवा हास्पिटल लि0	1,10,00,000.00	एच–3
		4.	सिद्धार्थ डिस्ट्रिब्यूटर्स	42,00,000.00	एच–4
		5.	पंच जंगल रिसोर्ट प्राइवेट लि0	9,15,000.00	एच–5
		6.	होटल सूर्यश पैलेस	7,51,000.00	एच–6
2	**बटेश्वर जनपद आगरा**				
		1.	सिद्धार्थ डिस्ट्रिब्यूटर्स	5,10,000.00	एच–1
		2.	एस0 एण्ड पी0 इन्फास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रा0लि0	4,50,000.00	एच–2
3	**बिठूर,जनपद कानपुर**				
		1.	काशी कन्स्ट्रटर्स	4,02,000.00	(एच–1) संशोधित बिजनेस प्लान अप्राप्त होने के कारण अयोग्य घोषित
		2.	एस0 एण्ड पी0 इन्फास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रा0लि0	3,39,000.00	एच–2
4	**गोकुल गॉव जनपद मथुरा**				
		1.	रोयट चिकोरी ग्रोवर्स एण्ड सप्लायर्स	14,21,000.00	एच–1
		2.	इनरसेल एलोयस एण्ड स्टील प्रा0लि0	12,00,000.00	एच–2
5	**गोकुल रेस्टोरेन्टजनपद मथुरा**				
		1.	एम0एस0 चिनार रोड आपरेशनस् एण्ड सिक्योरिटी सर्विसेज़	54,23,999.00	(एच–1) टेण्डर फीस एवं ईएमडी प्राप्त न होने के कारण अयोग्य घोषित
		2.	रोयट चिकोरी ग्रोवर्स एण्ड सप्लायर्स	36,11,000.00	एच–2
		3.	पंच जंगल रिसोर्ट प्राइवेट लि0	32,15,000.00	एच–3
		4.	मेसर्स बी0एन0 गोयल एण्ड कम्पनी	25,80,000.00	एच–4
6	**कालिंजर जनपद बांदा**				
		1.	कैरिबीन ओवरसीज़ प्रा0लि0	12,00,000.00	एच–1
		2.	सिद्धार्थ डिस्ट्रिब्यूटर्स	1,77,000.00	एच–2
		3.	एस0 एण्ड पी0 इन्फास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रा0लि0	1,50,000.00	एच–3
7	**मथुरा सिटीजनपद मथुरा**				
		1.	रोयट चिकोरी ग्रोवर्स एण्ड सप्लायर्स	20,56,000.00	एच–1
		2.	एस0 एण्ड पी0 इन्फास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रा0लि0	15,00,000.00	एच–2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		3.	सेप्टेक इण्डिया प्रा0लि0	12,96,000.00	एच–3
8	**राधाकुण्ड, जनपद मथुरा**				
		1.	इनरसेल एलोयस एण्ड स्टील प्रा0लि0	20,00,000.00	एच–1
		2.	पार्थ कैटरर्स एण्ड डेकोरेटर्स	10,20,000.00	एच–2
9	**साण्डी झील, जनपद हरदोई**				
		1.	सिद्धार्थ डिस्ट्रिब्यूटर्स	1,77,000.00	एच–1
		2.	एस0 एण्ड पी0 इन्फास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रा0लि0	1,44,000.00	एच–2
10	**नीमसार, जनपद सीतापुर**				
		1.	मार्डन लैमिनेटर्स लि0	8,00,000.00	एच–1
		2.	सिद्धार्थ डिस्ट्रिब्यूटर्स	6,63,000.00	एच–2
		3.	दीप आटोमोबाइलस	6,00,000.00	एच–3
11	**देवगढ़, जनपद ललितपुर**				
		1.	एस0 एण्ड पी0 इन्फास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रा0लि0	5,10,000.00	एच–1
12	**भदोही, जनपद भदोही**				
		1.	एस0 एण्ड पी0 इन्फास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रा0लि0	3,75,000.00	एच–1
13	**शिकोहाबाद**				
		1.	किसान आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज	5,27,000.00	(एच–1) मिथ्यापूर्ण अभिलेख प्रस्तुत किये जाने के कारण अयोग्य घोषित
		2.	एस0 एण्ड पी0 इन्फास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रा0लि0	3,93,000.00	एच–2

11– उपरोक्त तालिका में अंकित 13 पर्यटक आवास गृहों के सापेक्ष प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन विभागीय ट्रांजैक्शन एडवाइजरी फर्म मेसर्स के.पी.एम.जी. द्वारा किया गया। इस क्रम में मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त शार्टलिस्टेड निविदाकर्ताओं (बिडर्स) के मध्य प्रकाशित आर.एफ.पी./डी.सी.ए. की समिति के समक्ष खोली गयी अन्तिम ई–निविदा के संबंध में दिनांक 12–04–2023 को प्रमुख सचिव पर्यटन की अध्यक्षता में सार्वजनिक निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति (Public Private Partnership Bid Evaluation Committee) के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

12– उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति (Public Private Partnership Bid Evaluation Committee) की संस्तुति के क्रम में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश संख्या–3/2018/260/83–अव0–2018–34(अव0)/2013, दिनांक 29 जून, 2018 द्वारा प्रदेश में पी0पी0पी0 परियोजनाओं के संबंध में जारी ''गाइडलाइन्स फॉर सेलेक्शन ऑफ कन्सल्टेन्ट्स एण्ड डेवलपर्स फॉर पी0पी0पी0 प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश–2016 (संशोधित गाइडलाइन– 2018) के चैप्टर–3 Process Flow chart for Development of Project on PPP पैरा 3.3 Selection of Developer के अनुसार पर्यटक आवास गृहों को पी0पी0पी0 मोड पर विकसित व संचालित कराये जाने हेतु निविदा के सापेक्ष प्राप्त उच्चतम निविदादाता फर्मों को इकाई लीज पर दिये जाने एवं फर्म से अनुबन्ध निष्पादित किये जाने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

13– उपरोक्त तालिका में उल्लिखित पर्यटन विभाग के बन्द/घाटे में चल रहे/असंचालित 10 पर्यटक आवास गृहों को सार्वजनिक–निजी सहभागिता (पी0पी0पी0 मोड) पर विकसित व संचालित कराये जाने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त प्रकाशित निविदा के सापेक्ष प्राप्त उच्चतम निविदादाता फर्मों (एच–1) को इकाई लीज पर दिये जाने एवं फर्म से अनुबन्ध किये जाने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

14- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यटन विभाग के बंद/घाटे में चल रहे/असंचालित पर्यटक आवास गृहों को पी0पी0पी0 मोड पर विकसित व संचालित किये जाने के संबंध में मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 01.08.2023 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

(क) सार्वजनिक निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति (Public Private Partnership Bid Evaluation Committee) द्वारा निम्नवत् निर्णय लिये गये, जिसके क्रम में पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के कार्यवृत्त पत्र संख्या–19348/41–2023/113(सा0)/2022 दिनांक 24 अप्रैल, 2023 के माध्यम से संस्तुति प्रदान की गयी है:–

- राही पर्यटक आवास गृह, बिठूर, कानपुर के सापेक्ष मेसर्स काशी कान्ट्रैक्टर्स द्वारा की गयी निविदा एवं राही पर्यटक आवास गृह, गोकुल रेस्टोरेण्ट, मथुरा के सापेक्ष मेसर्स एम0एस0 चिनार रोड आपरेशनस् एण्ड सिक्योरिटी सर्विसेज़ द्वारा की गयी निविदा में अभिलेखों को अपूर्ण पाते हुए अनर्ह घोषित किया गया। पी.पी.पी.बी.ई.सी. समिति द्वारा राही पर्यटक

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आवास गृह, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद की प्रकाशित ई–निविदा के सापेक्ष मेसर्स किसान आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज से प्राप्त निविदा में मिथ्यापूर्ण अभिलेख पाये गये, जिस हेतु समिति द्वारा उक्त फर्म की प्राप्त निविदा को अनर्ह घोषित किया गया।

- उपरोक्त 03 पर्यटक आवास गृहों (राही पर्यटक आवास गृह, बिठूर, कानपुर, राही पर्यटक आवास गृह, गोकुल रेस्टोरेण्ट, मथुरा एवं राही पर्यटक आवास गृह, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद) के सापेक्ष अनर्ह पायी गयी उपरोक्त फर्मों की निविदाओं को निरस्त करते हुए पर्यटक आवास गृहों के सापेक्ष शार्टलिस्टेड निविदाकर्ताओं (बिडर्स) से पुनः द्वितीय चरण की ई–निविदा प्राप्त उच्चतम निविदा दर के अनुरूप प्राप्त किये जाने का निर्णय सार्वजनिक निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति (Public Private Partnership Bid Evaluation Committee) द्वारा लिया गया।
- अवशेष 10 पर्यटक आवास गृहों को सार्वजनिक–निजी सहभागिता (पी0पी0पी0 मोड) पर विकसित एवं संचालित कराये जाने हेतु प्रकाशित ई–निविदा के सापेक्ष शार्टलिस्टेड निविदाकर्ताओं (बिडर्स) से प्राप्त उच्चतम निविदादाता फर्मों को पर्यटक आवास गृह को लीज पर दिये जाने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु सार्वजनिक निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति (Public Private Partnership Bid Evaluation Committee) अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति/अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ख) उपरोक्तानुसार बंद/घाटे में चल रहे/असंचालित पर्यटक आवास गृहों को सार्वजनिक–निजी सहभागिता (पी0पी0पी0 मोड) पर विकसित एवं संचालित कराये जाने हेतु प्रकाशित ई–निविदा के सापेक्ष निम्न 10 पर्यटक आवास गृहों की लीज पर उच्चतम निविदाकर्ता (बिडर) की सूची निम्नवत् है:–

क्र. सं.	पर्यटक आवास गृह का नाम	जनपद	उच्चतम निविदादाता फर्म (एच–1) का नाम	उच्चतम दर (धनराशि रू0 में)	बेस प्राईस सेप्रतिशत वृद्धि
1.	राही पर्यटक आवास गृह, सोनौली	महराजगंज	होटल पवन पैलेस प्रा.लि. (Hotel Pawan Palace Pvt Ltd)	1,20,00,000.00	2659%
2.	राही पर्यटक आवास गृह, बटेश्वर	आगरा	सिद्धार्थ डिस्ट्रीब्यूटर्स एण्ड सीवाईसी कन्स्ट्रक्शन एलएलपी	5,10,000.00	443%

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			(Siddharth Distributors & CYC Construction LLP)		
3.	राही पर्यटक आवास गृह, गोकुल गांव	मथुरा	रयोत चिकोरी ग्रोवर्स एण्ड सप्लायर्स (Ryot Chicory Growers and Suppliers)	14,21,000.00	194%
4.	राही पर्यटक आवास गृह, कालिंजर	बांदा	करेबियन ओवरसीज प्रा. लि. (Karribean Overseas Pvt Ltd)	12,00,000.00	1100%
5.	राही पर्यटक आवास गृह, मथुरा	मथुरा	रयोत चिकोरी ग्रोवर्स एण्ड सप्लायर्स (Ryot Chicory Growers and Suppliers)	20,56,000.00	131%
6.	राही पर्यटक आवास गृह, राधाकुण्ड	मथुरा	इनरसेल एलोय एण्ड स्टील प्रा.लि. (Enershell Alloys & Steel Pvt Ltd)	20,00,000.00	238%
7.	राही पर्यटक आवास गृह, साण्डी झील	हरदोई	सिद्धार्थ डिस्ट्रीब्यूटर्स एण्ड सीवाईसी कन्स्ट्रक्शन एलएलपी (Siddharth Distributors & CYC Construction LLP)	1,77,000.00	77%
8.	राही पर्यटक आवास गृह, नीमसार	सीतापुर	मॉडर्न लैमिनेटर लि0 (Modern Laminator Ltd)	8,00,000.00	285%
9.	राही पर्यटक आवास गृह, देवगढ़	ललितपुर	एस एण्ड पी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रा.लि. (S & P Infrastructure Developers Pvt Ltd)	5,10,000.00	368%
10.	राही पर्यटक आवास गृह, भदोही	भदोही	एस एण्ड पी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रा.लि. (S & P Infrastructure Developers Pvt Ltd)	3,75,000.00	198%

(ग) आर0एफ0क्यू0 (RFQ), आर0एफ0पी0 (RFP) एवं प्री–बिड कांफ्रेन्स के आधार पर समय समय पर उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के आधार पर पर्यटन विभाग के बन्द/घाटे में चल रहे/असंचालित 10 पर्यटक आवास गृहों को सार्वजनिक–निजी सहभागिता (पी0पी0पी0 मोड) पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित व संचालित कराये जाने हेतु शार्टलिस्टेड निविदाकर्ताओं (बिडर्स) में से इकाईयों के सापेक्ष प्राप्त उच्चतम निविदादाता फर्मों (एच–1) को इकाई लीज पर दिये जाने एवं फर्म से अनुबन्ध किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(घ) प्रकरण में आवश्यकतानुसार अग्रेतर निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया।

15- प्रश्नगत प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय भार वहन नहीं किया जायेगा। अत: परियोजना के विकास एवं संचालन हेतु पी0पी0पी0 गाइडलाइन्स के प्राविधानों के अनुपालन में किसी विचलन की स्थिति उत्पन्न न हो।

अत: कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग, उ0प्र0।
5. **अपर मुख्य सचिव/सचिव प्रमुख/सचिव,**
   वित्त विभाग/न्याय विभाग/नियोजन विभाग/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in